(उनवान रोहित अरोड़ा बनाम अमरचन्द व अन्य
राजस्व वाद संख्या :- 208 / 2024)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

उनवान राजस्व वाद संख्या 208 / 2024

1. रोहित अरोड़ा पुत्र श्री विक्रमजीत अरोड़ा, जाति अरोड़ा, निवासी बी–9, रिद्धि–सिद्धी–5, श्रीगंगानगर ।
2. ममता अरोड़ा पत्नी किरण कुमार अरोड़ा, जाति अरोड़ा, निवासी आर.ओ.– 03, रिद्धि–सिद्धि फर्स्ट, श्रीगंगानगर ।
3. अजीतपाल सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 बी. बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

----वादीगण

बनाम

1. अमरचंद पुत्र श्री लेखराम जाति शाक्य निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. कन्हैया लाल पुत्र श्री शिवलाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुलाब सिंह पुत्र श्री नत्थूराम जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. चन्द्र कुमार पुत्र श्री निरंजनलाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. चुन्नी लाल पुत्र श्री शिवलाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. छगनलाल पुत्र श्री दीनदयाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. नन्दकिशोर पुत्र श्री लेखराम जाति शाक्य निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. नरेश कुमार पुत्र श्री नत्थूराम जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. भगवानदास पुत्र शिवलाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. मुन्नालाल पुत्र शिवलाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. राजेश पुत्र श्री लेखराम जाति शाक्य निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
12. राजेश पुत्र श्री नत्थूराम जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. रामलाल पुत्र श्री शिवलाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
14. सूर्यप्रकाश पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जैड ऑफिसर कालोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
15. हेमराज पुत्र श्री दीनदयाल जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

Scanned with CamScanner

16. हरचन्द पुत्र लेखराम जाति शाक्य निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
17. हनी कुमार पुत्र गंगा देवी जाति राजपूत माली निवासी चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. रवि कुमार पुत्र श्री चन्द्र सैन जाति शाक्य, निवासी वार्ड नं0 2, चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. राजेश कुमार पुत्र श्री चन्द्र सैन जाति शाक्य, निवासी वार्ड नं0 2, चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
20. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री पी.एस. आहुजा	वादीगण
2.	श्री दिनेश छाबड़ा	प्रतिवादी संख्या 4, 18, 19
3.	श्री संजय जनवेजा	प्रतिवादी संख्या 15
4.	पैरोकार राज श्रीगंगानगर	प्रतिवादी संख्या 13

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ता 14, 16, 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–.

दिनांक :– 16.01.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मुख्यतः पेशा काश्तकारी है, वादीगण का रजिस्ट्रर्ड पता सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वही है, जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र दो प्रतीयों है तथा वाद पत्र के समर्थन में वादीगण का शपथ पत्र सलंग्न है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि स्थित गांव 4 जैड पटवार हल्का 4 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101/86 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नं० 1 ता 10, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 व 24 कुल 3.6550 हैक0 नहरी, मुरब्बा नम्बर 43 के किला नं0 1, 2 व 10 कुल 0.342 हैक0 नहरी, मुरब्बा नम्बर 77/23 किला नं. 0 में 0.050 हैक खाला, मुरब्बा नम्बर 77/24 किला नं. 0 में 0.025 हैक0 खाला एवं मुरब्बा नम्बर 77/67 किला नं. 0 में 0.051 हैक0 खाला, इस प्रकार उपरोक्त सभी मुरब्बाजात में कुल 4.123 हैक्टेयर (नहरी 3.9970 हैक एवं खाला 0.1260 हैक0) कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 के मध्य पूर्व सहमति होने के कारण विशिष्ट किलों पर कब्जा काश्त के अनुसार काबिज काश्त है, जो कि निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी संख्या 1 रोहित अरोड़ा :–

चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 / 86 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नं. 16 में 0.025 (किला नं0 16 ममता अरोड़ा के रकबा के साथ सिपता हुआ) हैक्टेयर नहरी भूमि वादी संख्या 1 रोहित अरोड़ा के कब्जा काश्त में है।

ख) वादीया संख्या 2 ममता अरोड़ा

चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101/86 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नं. 16 में 0.090 हैक्टेयर, 17 में 0.228 हैक्टेयर, 23 में 0.083

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर (किला नं० 24 के साथ चिपता हुआ) एवं 24 में 0.076 हैक्टेयर एवं मु0नं0 77 / 23 में 0.018 हैक्टेयर खाला कुल 0.495 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी संख्या 2 ममता अरोड़ा के कब्जा काश्त में है ।

(ग) वादी संख्या 3 अजीतपाल सिंह

चक 4 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 / 86 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नं. 22 में 0.228 हैव0 व किला नं0 23 में 0.094 हैक्टेयर (किला नं० 22 साथ चिपता हुआ) एवं मुरब्बा नम्बर 43 के किला नं० 1 में 0.228 हैव0, किला नं० 2 में 0.1010 हैव0 व 10 में 0.0130 हैव0 कुल 0. 0.013090 342 हैव0 नहरी, मु0नं0 77 / 23 में 0.023 हैक्टेयर खाला इस प्रकार उपरोक्त दोनों मुरब्बाजात में कुल 0.687 हैव0 नहरी मय खाला भूमि वादी संख्या 3 अजीतपाल सिंह के कब्जा काश्त में है ।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 उक्त वर्णित अनुसार अपने-अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर लम्बे अरसा से काबिज काश्त है एवं काफी मेहनत व पैसा खर्च कर कृषि भूमि पर सुधार कार्य किया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को कब्जा व काश्त के अनुसार वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को अपने-अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 आज-कल कहकर टाल-मटोल करते और आज से 7 रोज पूर्व स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये, यही वाद हेतुक है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना खाता विभाजन करवाये कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु उतारू है, जिससे वादीगण को अंदेशा है कि वे, वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के हिस्से को विक्रय कर सकते है। इस प्रकार से उक्त वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना न्यायोचित एवं अपेक्षित है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा बिना खाता विभाजन करवाये उक्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्यंत्र रहन, बैय एवं अन्य तरीके से हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को चरण संख्या 3 के अनुसार खाता में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहें। वादीगण को अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना बिना वाद लाये सम्भव नहीं रहा है इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि उनके कब्जा काश्त अनुसार करवाकर अलग खाता कायम कर अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सके। प्रतिवादी संख्या 20 भूमिधारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, इनके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा नहीं है। वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावा वादीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे-

(क) कि डिक्री वादीगण के पक्ष में इस आशय की पारित की जावे कि चरण संख्या 3 में वर्णित कब्जा व काश्त के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम से अलग-अलग से खाता कायम किया जावे।

(ख) कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चरण संख्या 3 के अनुसार में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहें ।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायसंगत हो व वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 18, 19 के द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार संयुक्त खाता संख्या 101/86 की कुल 4.123 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 510/4123 हिस्सा अर्थात 0.510 है भूमि, प्रतिवादी संख्या 18 के नाम से 24/4123 हिस्सा अर्थात 0.024 है. एवं प्रतिवादी संख्या 19 के नाम से 24/4123 हिस्सा अर्थात 0.024 है. उपरोक्तानुसार कुल 0.558 है. अर्थात 2.04 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसे विभाजन में प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी है। मद संख्या 3 वाद पत्र में अंकित तथ्य जिस प्रकार से कथन किये गये है, स्वीकार नहीं है। रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है एवं आज दिनांक तक इसका विधिवत मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है। चरण संख्या क से ग में अंकित विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर की भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में होने के तथ्य स्वीकार नहीं है क्योंकि संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक ईन्च पर कब्जा काश्त की अवधारणा है एवं विवादग्रस्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि का आज दिनांक तक मौखिक अथवा घरू विभाजन नहीं हुआ है । मद संख्या 4 वाद पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार हैं यह तथ्य कथित रूप से असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त हों । न्यायालय से जब तक मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर विभाजन नहीं हो जाता तब तक संयुक्त खाता की अवधारणा प्रत्येक ईन्च पर प्रत्येक सहकाश्तकार के संयुक्त आधिपत्य की है। मद संख्या 5 वाद पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है । वादीगण को मिन प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक हासिल नहीं है। मद संख्या 6 वाद पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण सहकाश्तकारान के विरूद्ध सहस्वामित्व एवं सहकाश्त की भूमि के संदर्भ में शाश्वत व्यादेश का वाद न तो प्रस्तुत करने के अधिकारी है एवं ना हीं व्यादेश कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। मद संख्या 7 वाद पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। विभाजन हेतू प्रतिवादीगण की इन्कारी नहीं है लेकिन विभाजन माननीय न्यायालय के द्वारा मौका का विभाजन प्रस्ताव नियमों के अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर समस्त सहकाश्तकारान की भूमि मुताबिक उनके हिस्सा पूर्ण करते हुए मौका कब्जा काश्त अनुसार, रास्ता, खाला, सिंचाई सुविधा को मध्यनजर रखा जाकर किया जाना उचित एवं न्यायोचित है जिस हेतू प्रतिवादीगण तैयार एवं तत्पर है। अतिरिक्त कथन– प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता की कृषि भूमि का मौका कब्जा काश्त अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर विभाजन करवाये जाने से कोई ऐतराज नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण यहां यह निवेदन करना आवश्यक समझते है कि माननीय न्यायालय मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर विभाजन करते समय प्रत्येक सहकाश्तकार को उसके हिस्सा में आयी भूमि में जाने जाने के लिए रास्ता एवं सिंचाई हेतू खाला की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखकर विभाजन किया जावे। इस हेतू प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम निम्न प्रस्तुत कर रहे है। काउन्टर क्लेम – प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 4, 18 एवं 19 का पंजीकृत पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगणसंख्या 4, 18 व 19 के नाम से संयुक्त खाता संख्या 101/86 की कुल 4.123 है, जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र में अंकित है, में से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 510/4123 हिस्सा अर्थात 0.510 है. भूमि, प्रतिवादी संख्या 18 के नाम से 24/4123 हिस्सा अर्थात 0.024 है. एवं प्रतिवादी संख्या 19 के नाम से 24 / 4123 हिस्सा अर्थात 0.024 है. उपरोक्तानुसार कुल 0.558 है. अर्थात 2.04 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है । संयुक्त खाता संख्या 101 /86 की कुल 4.123 है. भूमि रिकॉर्ड में मुश्तरका दर्ज है जिसका आज दिनांक तक विधिवत विभाजन मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर नहीं हुआ है। वादीगण के द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने की अवस्था में प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण को अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विधिवत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

विभाजन कर प्रत्येक सहकाश्तकार को उनकी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता, सिंचाई हेतु खाता एवं हर प्रकार की सुविधा को चालबा करवाते हुए विभाजन करवाने का कहे जाने पर होने वाले इन्कार कर दिया गया जिस पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को मौजूदा काउन्टरक्लेम प्रस्तुत करने का हेतुक प्राप्त हुआ है । काउन्टर क्लेम सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बतौर सहकाश्तकारान काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के विधिक अधिकारी है। काउन्टर क्लेम अन्तर्गत निधान एक रूपये की उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । लिहाजा जवाब साद पत्र मय काउन्टर क्लेम एवं शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन कि वाद पत्र वादीगण सत्यथ निरस्त फरमाया जावे एवं विकल्प में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आज्ञाप्त किया जाकर संयुक्त खाता संख्या 101/86 की कुल संयुक्त 4.123 है, कृषि भूमि का मौका कब्जा काश्त अनुसार मौत्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर किया जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 4, 18, 19 की कुल 0.558 है, भूमि का खाता विभाजन किया जावे एवं खाता विभाजन करते समय प्रार्थीगण/प्रतिवादगण को उनके हिस्सा में आयी भूमि पर आने जाने के लिए तथा वाहन इत्यादि लाने व ले जाने के लिए युक्तियुक्त रास्ता एवं सिंचाई हेतु खाला की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखकर विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 15 के द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 15 ने अपने हिस्सा में सुधार कार्य करवाये है तथा प्रतिवादी संख्या 15 काउन्टर क्लेम के अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादीगण कोई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 15 ने अपने हिस्सा में सुधार कार्य करवाये है तथा प्रतिवादी संख्या 15 काउन्टर क्लेम के विभाजन करवाने का अधिकारी है। काउण्टर क्लेम= प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:- यह कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 86/79 का मुरब्बा नम्बर 40 की 3.720 है० नहरी मुरब्बा नम्बर 43 की 0.342 है० नहरी, मु० नं० 43 की 0.342 है०, मुरब्बा नम्बर 77/23 की 0.101 है० खाला, मुरब्बा नम्बर 77/24 की 0.025 है० खाला इस प्रकार कुल 4.1880 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 15 के से 0.252 है० कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कामजात माल है। प्रतिवादी संख्या 15 घरू बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 1 में से 0.237 हैक्टेयर भूमि दक्षिणी हिस्सा (यानि उत्तर दिशा से 12 1/2 फीट छोड़कर) तथा किला नम्बर 2 में से 0.015 हैक्टेयर (किलानम्बर 1 के उक्त 0.253 है० के साथ चिपता भाग) कुल 0.252 हैक्टेयर रकबा पर काबिज है, उक्त रकबा अपने नाम से किलावाईज करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 15 भी अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य वगैरह करवाना चाहते है, मगर संयुक्त खाता होने के कारण सुधार कार्य संभव नही है, इसलिए प्रतिवादी उक्त वर्णित अनुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को कई बार बंटवारा के लिए कहा गया, लेकिन वह इन्कार हो गये, इसलिए प्रतिवादी संख्या 15 को काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने का वाद कारण पैदा हुआ।

यह कि काउण्टर क्लेम न्यायालय के क्षेत्राधिकार है तथा पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः जवाब दावा मय शपथ-पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउण्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 15 का भी खाता विभाजन किया जाकर, अलग खाता कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ता 14, 16, 17 की विधिवत तामील होने एवम् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ता 14, 16, 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादी संख्या 4, 15, 18, 19 व 16 द्वारा मौखिक बहस निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4, 15 अनुसार वादीगण का नाम एवं प्रतिवादी संख्या 4, कि मुकदमा में प्रस्तुत जवाबदावे के वादीगण एवं कास्तहलकाशत प्रस्तुतकर्ता का हिस्सा एवं 4, 15, 18, 19 की कास्तकारी भूमि का से प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद डिक्री किया जावे। वकील वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी संवत 2071-2074 चक 4 जैड, पटवार हल्का 4 जैड, ग्राम [illegible], तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 101/86 का अवलोकन किया गया। वादीगण एवम् कास्तहलकाशत प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादीगण जमाबंदी के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण एवं कास्तहलकाशत प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 4, 15, 18, 19 व 16 आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादीगण एवं कास्तहलकाशत प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादीगण की भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक क्रमांक 186 दिनांक 10.01.2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर रास्ता की हद तक आपत्ति जाहिर की गई। पुनश्च आपसी सहमति से वादी संख्या 2 व 3 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक 186 दिनांक 10.01.2025 में रास्ता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी संख्या 3 अजीतपाल सिंह की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 23 में (वादी संख्या 2 ममता अरोड़ा के साथ शिपली कृषि भूमि) चार फिट चौड़ा रास्ता देने में सहमति जाहिर की गई एवं इसी प्रकार वादी संख्या 2 ममता अरोड़ा की कृषि भूमि किला नम्बर 23 में (वादी संख्या 3 अजीतपाल सिंह के साथ शिपली कृषि भूमि) चार फिट लम्बा रास्ता देने में सहमति जाहिर की गई जिस पर उभयपक्षों द्वारा सहमति जाहिर की गई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर वाद मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव डिक्री योग्य पाया गया।

|| आदेश ||

अतः वाद वादीगण एवं कास्तहलकाशत प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 4, 15, 18, 19 व 16 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	राहित अरोड़ा पुत्र विक्रमजीत सिंह	चक 4 जैड के मु.नं. 40 के किला नं. 16(0.026 है.)(किला नं. 16 ममता के रकबा के साथ शिपला) कुल 0.026 हैक्टर
2	ममता अरोड़ा पत्नी किशन कुमार	चक 4 जैड के मु.नं. 40 के किला नं. 16(0.090 है.), 17(0.228), 23(0.083)(किला नं. 24 के साथ शिपला), 24(0.076) कुल 0.477 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 77/23 में 0.018 हैक्टर खाला कुल 0.495 हैक्टर नहरी मय खाला (4 फीट रास्ता का क्षेत्रफल कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अंकन किया जावे)
3	अजीतपाल पुत्र गुरमेज सिंह	चक 4 जैड के मु.नं. 40 के किला नं. 22(0.228 है.), 23(0.094)(किला नम्बर 22 के साथ शिपला) कुल 0.322 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 43 किला नं. 1(0.228), 2(0.101), 10(0.013) कुल 0.342 हैक्टर नहरी,

Scanned with CamScanner

		मुरबा नम्बर 77 / 23 में 0.023 हैटर खाला इस प्रकार दोनो मुरबो में कुल 0.687 हैक्टर नहरी मय खाला **(4 फीट रास्ता का क्षेत्रफल कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अंकन किया जावे)**
4	चन्द्र कुमार पुत्र निरंजन का हिस्सा 0.510 हैक्टर , रवि कुमार पुत्र चन्द्रसैन का हिस्सा 0.024 हैक्टर, राजेश कुमार पुत्र चन्द्रसैन का हिस्सा 0.024 हैक्टर जाति राजपूत माली	चक 4 जैड के मु.नं. 40 के किला नं. 16(0.052 हैक), 10(0.253), 18(0.253) कुल 0.558 हैटर
5	हेमराज पुत्र दीनदयाल	चक 4 जैड के मु.नं. 40 के किला नं. 1(0.253हैक)कुल 0.253 हैटर नहरी
6	**विभाजन प्रस्ताव में अंकित रास्ता की बजाय वादी संख्या 3 अजीतपाल सिंह की कृषि भूमि मुरबा नम्बर 40 के किला नम्बर 23 में (वादी संख्या 2 ममता अरोड़ा के साथ चिपती कृषि भूमि) में चार फिट लम्बाई में रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जावे। एवम् इसी प्रकार वादी संख्या 2 ममता अरोड़ा की कृषि भूमि किला नम्बर 23 में (वादी संख्या 3 अजीतपाल सिंह के साथ चिपती कृषि भूमि) में चार फिट लम्बाई में रास्ता का अंकन इस प्रकार वादी संख्या 2 व 3 दोनों की कृषि भूमि में कुल 8 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।**	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner